न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 160 / 2013

उनवान

1. गलोल पुत्री मोती बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया, हाल निवासी श्रीमती गलोल पत्नी गोपाल बैरवा, पैच की बावडी तहसील हिंडोली जिला बून्दी (राजस्थान)
2. श्रीमती कैलाशी पुत्री मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया हाल निवासी श्रीमति कैलाशी पत्नी कैलाश बैरवा, ग्राम पारा तहसील केकडी, जिला अजमेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. रामा पिता छीतर जाति बैरवा(चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. सोजी पिता हुक्मा जाति बैरवा(चमार)निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. चेतन पिता हुक्मा जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
4. बंशी पिता हुक्मा जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपीया बेवा हुक्मा जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
6. जगन्नाथ पिता मांगू जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
7. सौदान पिता मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
8. जगदीश पिता मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामप्रकाश पिता मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
10. मानी बेवा मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवली जिला टोंक
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 354 / 2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8 मार्च, 2011 व दिनांक 17.02.2010

अधिवक्तागण :—

1. श्री मेहराज अली , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जगदीश दाधीच प्रत्यर्थी सख्या 1 से 6
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण / वादीगण संख्या 1से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजी राजस्व ग्राम बारला पोलिया तहसील जहाजपुर पटवार हल्का धुंवाला की खाता संख्या 245 की आराजी नम्बर 350 रकबा 0.02 बीघा, आ0नं0 398 रकबा 0.05 बीघा, आ0नं0 419 रकबा 3.17 बीघा, आ0नं0 420 रकबा 3.05 बीघा कुल कीता 4 कुल रकबा 7.09 बीघा खाता संख्या 246 में आ0नं0 479 रकबा 1.05 बीघा, खाता संख्या 241 में दर्ज आ0नं0 353 रकबा 2.01 बीघा, आ0नं0 354 रकबा 0.11 बीघा, आ0नं0 355 रकबा 0.11 बीघा, आ0नं0 356 रकबा 0.11 बीघा, आ0नं0 357 रकबा 1.16 बीघा, आ0नं0 358 रकबा 1.18 बीघा, आ0नं0 400 रकबा 1. 01 बीघा, आ0नं0 401 रकबा 1.01 बीघा, आ0नं0 402 रकबा 0.15 बीघा, आ0नं0 403 रकबा 1.06 बीघा, आ0नं0 404 रकबा 3.08 बीघा, आ0नं0 406 रकबा 1.09 बीघा, आ0नं0

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

407 रकबा 0.16 बीघा, आ0नं0 433 रकबा 2.12 बीघा, आ0नं0 759 रकबा 1.16 बीघा, आ0नं0 760 रकबा 2.08 बीघा, आ0नं0 418 रकबा 4.14 बीघा कुल कीता 17 कुल रकबा 28.14 बीघा खाता संख्या 244 में दर्ज आ0नं0 396 रकबा 0.19 बीघा, आ0नं0 397 रकबा 1.07 बीघा, आ0नं0 439 रकबा 2.10 बीघा, आ0नं0 349 रकबा 3.10 बीघा कुल कीता 4 कुल रकबा 8.06 बीघा व खाता संख्या 240 में दर्ज आ0नं0 352 रकबा 4.01 बीघा, आ0नं0 394 रकबा 2.00 बीघा कुल कीता 2 कुल रकबा 6.01 बीघा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या 245 रकबा 7.09 बीघा में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी सं0 1 का 2/9 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 02से लगायत 05/वादी संख्या 2 से 5 का 2/9 हिस्सा , प्रत्यर्थी संख्या 06/वादी सं0 6 का 1/3 हिस्सा एवं अपीलाण्ट व प्रत्यर्थी संख्या 7 से लगायत 10 का 2/9 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 246 में दर्ज आराजी में वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से लगायत 5 का 1/4 हिस्सा, वादी/प्रत्यर्थी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 7 से लगायत 10 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 241 में दर्ज आराजीयात में वादी/प्रत्यर्थी सं0 1 का 1/4 हिस्सा, वादी सं0 2 से लगायत 5/प्रत्यर्थी संख्या 2 से लगायत 5 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 6/प्रत्यर्थी सं0 6 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6/अपीलाण्ट व प्रत्यर्थी संख्या 7 से 10 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 244 में दर्ज आराजीयात में वादी संख्या 2 से 5/प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 का 1/3 हिस्सा, वादी सं0 1/प्रत्यर्थी सं0 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 से लगायत 6/अपीलाण्ट व प्रत्यर्थी सं0 7 से लगायत 10 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 240 में दर्ज आराजीयात में वादी सं0 1/प्रत्यर्थी सं0 1 का 1/3 हिस्सा, वादी सं0 2 से लगायत 5/प्रत्यर्थी सं0 2 से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लगायत 5 का 1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6/अपीलाण्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 7 से 10 का दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन आराजियात को जोतने, बोने, काटने, लगानजमा कराने तथा ऋणआदि लेने के लिए विवाद रहता है। इसलिए वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 से लगायत 5 में वर्णित कृषि आराजीयात में अपने दर्ज हिस्से को राजस्व रेकार्ड में मौके पर हो रखे बटवाड़ा एवं गुणावगुण के आधार पर अलग अलग दर्ज करने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित कराना फरमावें। बाद बटवाड़ा वादीगणों/प्रत्यर्थी संख्या 1 से लगायत 6 के हक व हिस्से में आई कृषि आराजीयात से वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 7 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने न अपने नोकर एजेन्ट रिश्तेदारों से कराने की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराना फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17.02.2010 को पारित की एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2011 को जारी की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की प्रोपर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तामील नहीं करवाई गई। अर्थात अपीलाण्ट के पीहर में तामील कराई गई जबकि वे अपने ससुराल में रहती है। प्रतिवादीगण / प्रत्यर्थी संख्या 7 से लगायत 10 अपीलार्थीगण को कोई हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित करा ली जिसकी जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं थी। बटवाड़ा कराने के पश्चात जब मौके पर पत्थरगढी करने आये तब अपीलाण्ट्स को जानकारी होते ही अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इस पर दिनांक 13.06.2013 को ही निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण की तामील प्रोपर नहीं हुई है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इनके सम्मन जो जारी किए वे उनके पीहर में तामील करवाये गये । इनके सम्मन रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के द्वारा लिए जिसकी सूचना अपीलार्थी को उक्त रेस्पोडेन्ट के द्वारा नहीं दी गई जबकि अपीलार्थीगण अपने ससुराल में रहती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रोपर तामील के एक तरफा करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो अपास्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात बटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार से प्राप्त किया जाता है। बटवाड़ा प्रस्ताव मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नियम 18 से 21 के प्रावधानों के तहत मौका पर्चा रिपोर्ट एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व सम्बन्धित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पक्षकारान को बटवाड़ा प्रस्ताव तेयार किए जाने की तारीख के सम्बन्ध में सूचना पत्र जारी होना आवश्यक है परन्तु तहसीलदार के द्वारा हम अपीलार्थीगण को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किए न सुनवाई का समुचित अवसर ही दिये बिना ही बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया जिसके आधार पर अन्तिम निर्णय एवं डिक्री जारी की जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट्स / वादीगण के द्वारा तहसीलदार से मिलाभगती करके अपनी इच्छानुसार बटवाड़ा तैयार करवाया जाकर अच्छी से अच्छी किस्म की जमीन अपने हक हिस्से में रखी है जबकि विधि अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जमीन का संयुक्त रूप से बटवाड़ा किया जाना चाहिए था । इस प्रकार तैयार किए गए बटवाड़ा प्रस्ताव पर मात्र वादीगण / रेस्पोडेन्ट के ही हस्ताक्षर है अन्य किसी भी प्रतिवादी / अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1,2,3 व 6 के कोई हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही बटवाड़ा प्रस्ताव केवल मात्र भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार किया है जो मनमकसूद तरीके से तैयार किया गया है। अतः उक्त बटवाड़ा प्रस्ताव विधिसम्मत नहीं होने से इसके आधार पर जारी किया गया अन्तिम निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी के द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की संयुक्त अपील प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 जो कि मोती के वारिस है सभी के द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा होने एवं प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्ट्स की ओर से किसी प्रकार का खण्डन प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री उचित होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. बहस में वकील अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं सुना तथा एक तरफा डिक्री पारित की गई है। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत बटवाड़े के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सुनवाई तारीख 14.07.2009 के सूचना पत्र जारी किए गए। प्रतिवादीगण के सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त हुए। दिनांक 14.07.2009, 08.08.2009, 29.09.2009, 21.12.2009 में पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी पेशीयां दी गई। दिनांक 21.12.2009 को जारी सूचना पत्रों में से अपीलार्थी गलोल व कैलाशी के सम्मन उनकी माता के द्वारा प्राप्त किए जबकि ये अपने ससुराल जिला बून्दी व जिला अजमेर में निवास करती है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इनकी तामील मानते हुए एक तरफा आदेश पारित करते हुए प्रकरण में मौखिक साक्ष्य लेकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2010 को जारी की गई। इस प्रकार विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार यह सुस्पष्ट है कि किसी भी पक्षकार की स्वयं की व्यक्तिशः तामील आवश्यक है। अपीलार्थीगण की तामील प्रोपर नहीं होने पर भी उनके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विरूद्ध जो एक तरफा आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं है।

11. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2010 के अनुसार बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानानुससार विधिसम्मत नहीं है। बटववाड़ा प्रस्ताव को तहसीलदार जहाजपुर के द्वारा अपने पत्रांक 709 दिनांक 13.10.2010 को भिजवाया गया वह भी वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 6 की उपस्थिति में मनमकसूद तैयार किया जिसके आधार पर जारी की गई अन्तिम डिक्री व निर्णय खारिज योग्य है। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बटवाड़ा प्रस्ताव भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर के द्वारा तैयार किया है। इसमें स्पष्ट अंकित है कि बटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर वादीगण को साथ रखकर तैयार किया गया है। पत्रावली में बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व सभी संयुक्त खातेदारान को सूचना पत्र जारी किया जाना आवश्यक है जो पत्रावली में संलग्न नहीं है। राजस्थान काश्तकारी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम के नियम 18 से 21 की अनुपालना में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर भी यह बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार नहीं किया है क्योंकि वादीगण के अलावा शेष पक्षकारान के कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है। बटवाड़ा प्रस्ताव सीधे ही भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार किया जिस पर तहसीलदार के किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं है जबकि नियमानुसार बटवाड़ा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर सभी पक्षकारान की मौजूदगी में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नक्शे में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सभी के हिस्से को अलग–अलग रंगों में दर्शाते हुए तैयार किया जाता है परन्तु उक्त प्रकरण में बटवाड़ा प्रस्ताव को तहसीलदार जहाजपुर के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को बिना अपने हस्ताक्षर के पत्रांक 709 दिनांक 13.10.2010 से भिजवाया गया जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि बटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा तैयार किया गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त बटवाड़ा प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2011 पारित किया जो विधि सम्मत नहीं है।

12. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि अपीलाण्ट के द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक ही अपील प्रस्तुत की है जिसे निरस्त फरमाया जावे। इस क्रम में विस्तृत रूप से पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट को प्रारम्भ से ही विधिवत तामील न होकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाना प्रकट है, ऐसे में प्राथमिक डिक्री ही त्रुटीपूर्ण हो जाती है। दोषपूर्ण प्राथमिक डिक्री के आधार पर की गई समस्त कार्यवाही विधिनूकूल नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः न्यायहित में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.02.2010 की अपील मानते हुए निर्णय पारित किया जाना उचित मानते है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2010 को खारिज किया जाता है । चूंकि प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री को अपील निर्णय से निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अतः प्राथमिक डिक्री के आधार पर की गई समस्त अग्रिम कार्यवाही मय अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2011 भी खारिज हो जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री करते हुए बटवाड़ा प्रस्ताव मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं तहसीलदार के द्वारा मौके पर तैयार किया जावे। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले बटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार विधिनूकूल अन्तिम निर्णय पारित किया जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/160/2013

उनवान

1. गलोल पुत्री मोती बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया, हाल निवासी श्रीमती गलोल पत्नी गोपाल बैरवा, पैच की बावडी तहसील हिंडोली जिला बून्दी (राजस्थान)
2. श्रीमती कैलाशी पुत्री मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया हाल निवासी श्रीमति कैलाशी पत्नी कैलाश बैरवा, ग्राम पारा तहसील केकडी, जिला अजमेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. रामा पिता छीतर जाति बैरवा(चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. सोजी पिता हुक्मा जाति बैरवा(चमार)निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. चेतन पिता हुक्मा जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
4. बंशी पिता हुक्मा जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपीया बेवा हुक्मा जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
6. जगन्नाथ पिता मांगू जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
7. सौदान पिता मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
8. जगदीश पिता मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामप्रकाश पिता मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
10. मानी बेवा मोती जाति बैरवा (चमार) निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11.शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवली जिला टोंक
12.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
रेस्पोड़ण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण
संख्या 354 / 2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8 मार्च, 2011 व
दिनांक 17.02.2010

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 160 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 05.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मेहराज अली प्रत्थर्थी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री जे.सी.दाधीच वकील एवं प्रत्यर्थी सं0 12 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 05.09..2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2010 को खारिज करते हुए पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस